कार्यालय परियोजना अधिकारी,

एकीकृत बाल विकास परियोजना बिलासपुर शहरी जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

दुरभाष नंबर –07752–402353 Email id- icdsbilaspur1@gmail.com

परिशिष्ट–एक

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना

क्र./~~1712~~ 1721/नियु./बाविपरि/2026–27 बिलासपुर दिनांक 21/10/2026

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए **आंगनबाड़ी कार्यकर्ता** का पद रिक्त होने के कारण इन पदों पर नियुक्ति की जानी है। अतः निर्धारित प्रारूप में रिक्त पद हेतु आवेदन पत्र दिनांक **23/10/2026 से 06/11/2026** तक कार्यालयीन समय में ई–भर्ती ऑनलाईन लिंक (https://aww.e-bharti.in/login) में जा कर अनिवार्य दस्तावेजों की फाइल अपलोड करते हुए आवेदन कर सकते है। नियत समय के बाद प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नही किया जायेगा।

रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	सेक्टर का नाम	वार्ड का नाम/क्रमांक	केन्द्र का नाम/क्रमांक	पद का नाम
1	2	3	4	5
1	टिकरापारा	वार्ड 37 इंदिरा नगर	37 इंदिरा नगर टिकरापारा	आं.बा. कार्यकर्ता

आवेदन किये जाने हेतु अर्हतायें हैं–

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका को आयु सीमा में 3 वर्ष की छुट दी जावेगी। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित तिथि से की जावेगी।
2. आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिये जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है।

वार्ड निवासी होने के संबंध में प्रमाण पत्र

(1) संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख प्रतिलिपि लगाई जावे। अथवा (2) वार्ड में पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में निवासरत् रहने का पता सहित उल्लेख हो, मान्य किया जावेगा।

(2) यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदिका के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

3. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिये –

कार्यकर्ता हेतु	12 वी पास अथवा 11 वी बोर्ड (पूर्ववर्ती)
सहायिका हेतु	08 वी पास

टीप :– उपरोक्तानुसार परियोजना में कोई कार्यकर्ता पद हेतु आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर 10 वी बोर्ड रखी जायेगी। इस अनुसार भी कोई आवेदिका न मिलने पर पुनः शिथिल मानकर 08 वी उत्तीर्ण व उसके उपरांत भी आवेदिका न मिलने पर 05 वी उत्तीर्ण योग्यता रखी जायेगी। सहायिका पद हेतु उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता के कोई भी आवेदन प्राप्त नही होते है तो शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर उससे कम शैक्षणिक योग्यता पर भी विचार किया जायेगा। (8 वी की परीक्षा ग्रेड प्रणाली से उत्तीर्ण होने वाले आवेदिकाओं को ग्रेड प्रमाण पत्र के साथ–साथ प्रधान पाठक से जारी अंकसूची पृथक से संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा ग्रेड के न्यूनतम अंक को आधार मानकर मूल्यांकन किया जावेगा।) ग्रेडिंग अंकसूची होने पर प्रधान पाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न करे।

1. अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका होने पर संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अंक दिया जायेगा। (न्यूनतम 1 वर्ष)
2. अनुसुचित जाति/जनजाति की आवेदिका को सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि किसी आवेदिका द्वारा वैध अस्थायी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत किया जाता है तो यह शपथ पत्र देना होगा कि 06 माह के भीतर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी।
3. विधवा महिला को जन्म/मृत्यु के पंजीयन हेतु विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि शासन द्वारा किसी प्रकार की आर्थिक सहायता /पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उनका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
4. परित्यकता महिला को वार्ड पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परित्यकता महिला के संबंध में 2 वर्ष से अधिक के अवधि को ही मान्य किया जावेगा। परित्यकता के संबंध में भ्रामक जानकारी या गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर आवेदिका के आवेदन पर विचार ही नही किया जावेगा।
5. तलाकशुदा महिला को विवाह विच्छेद होने संबंधी माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार की महिला होने पर प्रभावशील सूची (सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 या 2007–08 गरीबी रेखा सर्वे सूची) सह प्रमाण पत्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. अनुसुचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में 8 वी तक अध्ययन करने संबंधी संस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. आवेदिका द्वारा आवेदन जमा करने के उपरांत निर्धारित अंतिम तिथि के बाद अन्य कोई भी दस्तावेज स्वीकार नही किया जावेगा।
9. समस्त दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ ही स्वप्रमाणित जमा करना अनिवार्य है।

10. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है इन्हे केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिकाएं निर्धारित आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक **23/10/2026 से 06/11/2026** तक ई–भर्ती ऑनलाईन लिंक (https://aww.e-bharti.in/login) में जा कर अनिवार्य दस्तावेजों की फाइल अपलोड करते हुए आवेदन कर सकते है। निर्धारित अंतिम तिथी दिनांक 06.11.2026 के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगें।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना बिलासपुर शहरी
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

पृ. क्र./~~1713~~ 1722 /नियु./बाविपरि/2026–27 बिलासपुर दिनांक 21/10/2026

प्रतिलिपि :–

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी म.बा.वि. जिला–बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ व समाचार पत्रों में प्रकाशन करने का कष्ट करें।
4. वार्ड क्रमांक 37 वार्ड पार्षद बिलासपुर को सूचना संबंधी मुनादी कराने हेतु अग्रेषित।
5. पर्यवेक्षक सेक्टर टिकरापारा अधिनस्थ क्षेत्रों में सूचित करे एवं संबंधित वार्ड के सभी आंगनबाडी केन्द्रों में पत्र चस्पा किये जाने हेतु पालनार्थ ।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना बिलासपुर शहरी
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)